संख्या- 119 /2022/001-1057-24-1-2022-18 P -2020 TC

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2022

विषय:-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु पुनर्विनियोंग के माध्यम से वित्तीय वित्तीय स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-687/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2022-23/426, दिनांक 25 जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-4801-02-190-14-1419-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र), लेखा शीर्षक-4801-02-190-14-1409-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र), लेखा शीर्षक-4801-02-190-14-1422-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 168,00,00,000/- (रूपये एक सौ अड़सठ करोड़ मात्र) एवं लेखा शीर्षक-4801-02-190-14-1410-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 130,00,00,000/- (रूपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रूपये 1098,00,00,000/- (रूपये एक हजार अठ्ठान्नवे करोड़ मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-4801-05-190-08-30 में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जुलाई एवं अगस्त, 2022 में आयतित कोयला क्रय हेतु किया जायेगा।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) इस सम्बन्ध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होगें।

(7) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,98,00,00,000 (रुपये दस अरब अट्ठानबे करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801051900800 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-58-X-2022-23-दिनांक:29-7-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 119/2022/001-1057-24-1-2022-18 P -2020 TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-11001
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
5- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
7- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

transanadesh.gov.in